कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 332 भोपाल, दिनांक 20/01/21

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 505.5 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-04/2020-FC दि. 08.01.2021

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित हैः–

S.N.	Conditions	Compliance
I-	The State Govt. once again has not submitted the plan addressing the issue of shifting of transmission line.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि 06 विद्युत लाईनों में से 05 विद्युत लाईन पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से निर्मित की जावेगी। इन 05 लाईनों के सर्वेक्षण के लिये पावरग्रिड को रू. 115.46 लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया है। सर्वेक्षण कार्य के उपरांत परियोजना तैयार कर शिफ्टिंग का कार्य कर लिया जायेगा। इसी प्रकार 01 पावर लाईन स्टरलाईट के माध्यम से निर्मित की जायेगी। इस कम्पनी को सर्वेक्षण के लिये रू. 11.81 लाख की राशि भुगतान कर दी गई है। सर्वेक्षण कार्य के उपरांत परियोजना तैयार कर शिफ्टिंग का कार्य कर लिया जायेगा।
II-	As per DSS analysis report the following has been reported : a. The actual forest land involved in the submergence is found 501.22 ha. instead of 467.99 ha. or 466.52 ha (as per shape-file) mentioned in the instant proposal. Therefore, as per GIS-DSS analysis the total forest involved in the instant proposal is found 530.80 Ha. b. The user agency has left many forest patches/area's while preparing the forest diversion map and due to this reason the actual forest area coing under the submergence was found 466.53 ha instead of 501.22 ha.	इस प्रस्ताव में आवेदक संस्था तथा वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर द्वारा बांध के डूब में आने वाली वनभूमि का रकबा 467.99 हेक्टेयर होना अवगत कराया है। इस कार्यालय द्वारा आवेदक संस्था से बांध के डूब में आने वाली सम्पूर्ण भूमि की KML फाईल प्राप्त कर उसका DSS analysis करने पर यह रकबा सही नहीं पाया है। अतः प्रकरण में बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित वनक्षेत्र का रकबा DSS analysis अनुसार 501.22 हेक्टेयर मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार इस प्रकरण में आवेदित रकबा 497.63 हेक्टेयर के स्थान पर 530.80 हेक्टेयर प्रभावित होगा।

इस प्रस्ताव में यह अनुरोध है, कि प्रभावित विद्युत लाईनों की शिपिंटग का कार्य औपचारिक स्वीकृति के पूर्व कर लिया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव में 530.80 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा पूर्व से ही 05 टुकड़ों में 572.07 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है।

20/1/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/01/21

पृ. क्रमांक/एफ–3/97/2018/10–11/12/333
प्रतिलिपिः–

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

20/1/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Section F-3 (Part-II).doc